कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जबलपुर (म.प्र.)

—:आदेश:—

क्रमांक /357/ स्था.निर्वा./2019/ जबलपुर दिनांक 20/09/2019

1. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालाय भोपाल के आदेश पृ. क्रमांक एफ 19—72/2016/1/4 भोपाल दिनांक 16—7—2019 द्वारा सृजित डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 29—2—2020 तक की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर श्री दीपक कुमार सोनी पिता श्री विन्द्रावन सोनी निवासी म.नं. 149 वार्ड न.07 नारद गंज नौ गंज रोड पलेरा जिला — टीकमगढ (म.प्र.) जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला जबलपुर में एक मुश्त मासिक संविदा पारिश्रमिक रूपये 10260 (शब्दों में दस हजार दो सौ साठ मात्र) पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है।

2. नियुक्त संविदा कर्मचारी की एकमुश्त संविदा पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ता (गृहभाडा चिकित्या आदि) की पात्रता नहीं होगी लेकिन शासकीय कार्य से यात्रा करने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा ।

3.नियुक्त संविदा कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने समय निर्धारित प्ररूप में 50 रूपये के नॉनज्यूडियायल स्टॉप पर अनुबंध पत्र का निष्पादन करना होगा । संविदा कर्मचारी अनुबंध पत्र की शर्तो का परिपालन करने के लिए बाध्य होगा । अनुबंध पत्र की शतों का उल्लंघन करने की स्थिति में संविदा नियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी ।

4. नियुक्ति पश्चात जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) का (फिटनेस) चिकित्सा प्रमाण—पत्र कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिन की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा ।

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित संविदा अवधि के पूर्व कभी भी एक माह के नोटिस पर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी । नियुक्त संविदा कर्मचारी भी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है ।

6. नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश में कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के पालन हेतु बाध्य होगा । नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी पूर्वानुमति/निर्देश के कार्यालय से संबंधित कोई सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/विभाग या किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेंगे । कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार /व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा । नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे ।

7. नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा । चरित्र के संबंध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी ।

13/09/19

8. नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवा अवधि आवश्यकतानुसार विहित शर्तो के अधीन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बढाई जा सकेगी ।

9. नियुक्त संविदा कर्मचारी को नियमितिकरण की पात्रता नहीं होगी और वह भविष्य में नियमितिकरण सम्बंधी का दावा नहीं कर सकेगा ।

10. नियुक्त संविदा कर्मचारी को नियमानुसार 01 केलेण्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी ।

11. नियुक्त संविदा कर्मचारी का नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा और प्रतीक्षा सूची के आवेदक को नियुक्ति दे दी जायेगी ।

19/09/19
(भरत यादव)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–जबलपुर

पृष्ठा. क्रमांक /357/ स्था.निर्वा./2019/ जबलपुर दिनांक 20/09/2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
3. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधीक्षक, कलेक्टोरेट जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
6. श्री दीपक कुमार सोनी पिता श्री विन्द्रावन सोनी निवासी म.नं. 149 वार्ड न.07 नारद गंज नौ गंज रोड पलेरा जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

19/09/19
(भरत यादव)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–जबलपुर